

UPMB010024452024



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या-686/2024

सरकार बनाम अखिलेश कुमार,

धारा 64(1),333,351(3) बी.एन.एस.

मु0अ0सं0-268/2024

थाना कबरई जिला महोबा।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **अखिलेश कुमार** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम:- यह कि दिनांक 22.09.2024 को समय करीब 3:00 बजे दिन स्थान वादी मुकदमा का मकान ग्राम रिवाई सुनैचा थाना कबरई जिला महोबा में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के घर के अन्दर घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-333 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय:- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की पुत्री लक्ष्मी उम्र 19 वर्ष के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध लैंगिक प्रवेशन हमला/बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-64(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय:- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की पुत्री लक्ष्मी उम्र 19 वर्ष को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-351(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 18.01.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक: 18.01.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010024452024



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या-686/2024

सरकार बनाम अखिलेश कुमार,

धारा 64(1),333,351(3) बी.एन.एस.

मु0अ0सं0-268/2024

थाना कबरई जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **अखिलेश कुमार** उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरान्त मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **अखिलेश कुमार** के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-64(1),333,351(3) के अन्तर्गत प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 01.02.2025 को पेश हो।

दिनांक: 18.01.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।